

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ( अजमेर )

धीरश्रीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 15/2017

उनवान

रामदेव पुत्र घीसा जाति रावत नि० हाथीपट्टा, श्रीनगर नसीराबाद

— वादी :- जरिये अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन

बनाम

1. चांदमल पुत्र भूरा,
2. फूल सिंह पुत्र श्रवण,
3. केली पत्नी भैरू पुत्रवधु दूला,
4. कान सिंह, फौत जरिये वारिसान
- 4/1. गुमानी पत्नी कान सिंह
- 4/2. सोनू ना.बा. पुत्र कान सिंह
- 4/3. सुमन ना.बा.
- 4/4. मोनिका ना.बा. पुत्रिया कान सिंह जरिये वली माता गुमानी
5. जय सिंह पुत्र भैरू पौत्र दूला, समस्त जाति रावत नि० हाथीपट्टा नसीराबाद,
6. जनता पुत्री भैरू, पत्नी जीयो पुत्र रामचन्द्र जाति रावत नि० मुहामी, अजमेर,
7. चन्द्र पुत्र हरजी, फौत जरिये वारिसान
- 7/1. गुलाबी पत्नी चन्दर
- 7/2. सीताराम पुत्र चन्दर
- 7/3. सीताराम
- 7/4. नेमीचन्द
- 7/5. ज्ञान सिंह
- 7/6. लाल सिंह (तर्क किया)
- 7/7. रामधन
- 7/8. शेखर पि० चन्दर
- 7/9. सीता पुत्री चन्दर समस्त जाति रावत नि० हाथीपट्टा नसीराबाद,
8. मीरा पुत्री हरजी पत्नी गोपी पुत्र उदा रावत नि० खानपुरा अजमेर,
9. तीजा पुत्री हरजी पत्नी विरदीचन्द जाति रावत नि० किरानीपुरा, अजमेर,
10. शारदा पुत्री हरजी पत्नी भागचन्द रावत नि० परवतपुरा अजमेर,
11. छोटी पत्नी लाडू उर्फ लादू,
12. भागचन्द पुत्र लाडू उर्फ लादू,
- 12/1. गोपाली पत्नी भागचन्द
- 12/2. निहाल पुत्र भागचन्द
- 12/3. दिलबाग पुत्र भागचन्द
- 12/4. सीमा पुत्री भागचन्द
13. भंवरलाल पुत्र बालू पौत्र लाडू उर्फ लादू,
14. गोपी पुत्र बालू पौत्र कालू,
15. आपू पत्नी बालू पुत्रवधु कालू,



—2

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद ( अजमेर )



- //2//
16. हीरा,
  17. रामकरण पुत्र छोदू, जाति रावत नि० हाथीपट्टा नसीराबाद,
  18. राम सिंह पुत्र हजारी,
  19. बालू पुत्र छोगा,
  20. रतना पुत्र नानू,
  21. कालू पुत्र हालू,
  22. रामधन पुत्र पेमा, पौत्र हरजी,
  23. नंगा पुत्र गोपी पौत्र लाला,
  24. सूरजमल पुत्र मुंशी,
  25. पांचू पुत्र भूरा,
  26. लालचंद,
  27. भागचंद,
  28. धारा सिंह पि० घीसा पौत्र सोला
  29. कल्ली पत्नी घीसा पुत्रवधु सोला,
  30. चांदमल,
  31. मोहनलाल पुत्र रूपा,
  32. धापू पत्नी सुरजकरण,
  33. अमरचंद पुत्र सुरजकरण,
  34. महेन्द्र,
  35. विरेन्द्र पि० मंशा सिंह जाति रावत नि० हाथीपट्टा श्रीनगर नसीराबाद,
  36. स्टेट बैंक आफ बिकानेर एण्ड जयपुर शाखा श्रीनगर, नसीराबाद,
  37. कोटक महेन्द्रा बैंक लिमिटेड जयपुर जरिये प्रबंधक शाखा नसीराबाद,
  38. उप पंजीयक श्रीनगर, नसीराबाद,
  39. उप पंजीयक नसीराबाद
  40. राज० सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद,

— प्रतिवादीगण :-

38 से 40 जरिये तहसीलदार नसीराबाद  
शेष अनुपस्थित

41. रामचन्द्र पुत्र घीसा जाति रावत नि० हाथीपट्टा नसीराबाद  
— प्रफोर्मा प्रतिवादी :- जरिये तहसीलदार नसीराबाद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए रा० का० अधि० 1955

— निर्णय :-

दिनांक :- 6/6/24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीनगर में वादी की खातेदारी / काश्तकारी की भूमि स्थित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्किस खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
5570	0-13-0	6986	0.53
5571	1-1-0	6986 / 8410	0.17
5572	1-2-0	6986 / 8411	0.18
5573	0-13-0	6988 / 8357	0.06
		6985 / 8358	0.05

5573	0-16-0	6986 / 8617	0.13
5574	1-13-0	6985	0.19
		6986 / 8618	0.27
5575	0-13-0	6987 / 8619	0.10
5585	2-12-10	7045 / 8400	0.42
5588	0-5-0	6988	0.04
5554	0-15-0	6994	0.12

उक्त आराजी के वंकिंग खसरा नम्बर 5570, 5571, 5575/6197, 5572, 5589, 5575/6198, 5573, 5574, 5575, 5585 की सम्पूर्ण भूमि व वंकिंग खसरा नम्बर 5588 चाह व 5554 चाह का 1/4 हिस्सा कुल रकबा 10-14-0 के खातेदार हरजी पुत्र करणा, श्रवण पुत्र झूझा, दुबला पुत्र खिया, लादू पुत्र कज्जा, ने जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 14.6.69 को प्रतिवादी संख्या 1 चांदमल पुत्र भूरा को बैचान किया था। जिसका नामान्तरण संख्या 907/09.08.85 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में दर्ज किया गया। तत्पश्चात उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 41 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 01.06.1983 को बैचान कर कब्जा व दखल सौप दिया था। तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण संख्या 908 वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 41 का नाम दर्ज किया गया। वर्तमान खसरा नम्बर 6986 रकबा 0.53 में से रकबा 0-13-0 वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 41 की कयशुदा भूमि है। व उक्त खसरा नम्बर का शेष रकबा वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 41 की पुश्तैनी है। हाल खसरा नम्बर 6986/8410 प्रतिवादी संख्या 2 फूल सिंह के नाम गलत इन्द्राज किया गया है। हाल खसरा नम्बर 6986/8411, 6988/8357, 6985/8358 भैरू पुत्र दुला के नाम गलत दर्ज की गयी। जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 3 से 6 है। हाल खसरा नम्बर 6986/8617, 6986/86186987/8619 प्रतिवादी संख्या 7 से 12 के नाम गलत अंकित की गयी। हाल खसरा नम्बर 6985 भी प्रतिवादी संख्या 13 से 17 के पूर्वज कालू व छोटू पि० मेन्दू के नाम गलत इन्द्राज किया गया। हाल खसरा नम्बर 6988 चाह प्रतिवादी संख्या 20 से 25 व 30 से 35 के नाम भी गलत इन्द्राज किया गया। जबकि उक्त चाह में वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 41 व प्रतिवादी संख्या 18, 19, 26 से 29 का ही हिस्सा व हक है। हाल खसरा नम्बर 6986/8410 को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 36 के पक्ष में हाल खसरा नम्बर 6986/8617 को प्रतिवादी संख्या 6 से 11 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 37 के समक्ष बिना किसी अधिकार के रहन रखी गयी है। वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 41 द्वारा कय की गयी उक्त आराजी के गलत त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है। व अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण प्रकरण में अपुपस्थित रहे। राज० पैरोकार ने जवाब पेश नहीं किया।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र प्रस्तुत किये। व वादी रागदेव का शपथ पत्र पेश किया। राज० पैरोकार ने साक्ष्य नहीं पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज० पैराकार की बहस पर मनन किया गया। वंकिंग खसरा नम्बर 5570, 5571, 5575/6197, 5572, 5589, 5575/6198, 5573, 5574, 5575, 5585 की सम्पूर्ण भूमि व वंकिंग खसरा नम्बर 5588 चाह व 5554 चाह का 1/4 हिस्सा कुल रकबा 10-14-0 के खातेदार हरजी पुत्र करणा, श्रवण

पुत्र शूशा, दुजला पुत्र खिया, लादू पुत्र कज्जा, ने जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 14.6.69 को प्रतिवादी संख्या 1 चांदमल पुत्र भूरा को बैचान किया था। जिसका नामान्तरण संख्या 907/09.08.85 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में दर्ज किया गया। तत्पश्चात उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 41 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 01.06.1983 को बैचान कर कब्जा व दखल सौंप दिया था। तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण संख्या 908 वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 41 का नाम दर्ज किया गया। हाल खसरा नम्बर 6986/8410 प्रतिवादी संख्या 2 फूल सिंह के नाम गलत इन्द्राज किया गया है। हाल खसरा नम्बर 6986/8411, 6988/8357, 6985/8358 भैरू पुत्र दुला के नाम गलत दर्ज की गयी। जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 3 से 6 है। हाल खसरा नम्बर 6986/8617, 6986/86186987/8619 प्रतिवादी संख्या 7 से 12 के नाम गलत अंकित की गयी। हाल खसरा नम्बर 6985 भी प्रतिवादी संख्या 13 से 17 के पूर्वज कालू व छोटू पि0 मेन्दू के नाम गलत इन्द्राज किया गया। हाल खसरा नम्बर 6988 चाह प्रतिवादी संख्या 20 से 25 व 30 से 35 के नाम भी गलत इन्द्राज किया गया। जबकि उक्त चाह में वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 41 व प्रतिवादी संख्या 18, 19, 26 से 29 का ही हिस्सा व हक है। हाल खसरा नम्बर 6986/8410 को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 36 के पक्ष में हाल खसरा नम्बर 6986/8617 को प्रतिवादी संख्या 6 से 11 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 37 के समक्ष विना किसी अधिकार के रहन रखी गयी है। वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 41 ने उक्त आराजी प्रतिफल राशि अदा कर कय की थी। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है उनके द्वारा प्रकरण का कोई खण्डन नहीं किया गया है। वादी उक्त आराजी का विधिक क्रेता सिद्ध होता है। वंकिंग खसरा नम्बर 5570 रकबा 0-13-0 की जमाबंदी वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 6986 रकबा 0.53 महेन्द्र सिंह, विरेन्द्र पि0 मंशा के नाम दर्ज है। उनके द्वारा वादी को भूमि का विक्रय नहीं किया गया। वंकिंग खसरा नम्बर 5554 रकबा 0-15-0 के हाल खसरा नम्बर 6994 रकबा 0.12 की वंकिंग जमाबंदी वादी द्वारा पेश नहीं की गयी है। शेष आराजी पर हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्ध होता है। आराजी मुतनाजा में से कुछ आराजी वादी प्रतिवादी संख्या 36 व 37 बैंक के पक्ष में रहन रखी है किन्तु वादी उक्त आराजी का विधिक क्रेता है। प्रतिवादी को उक्त आराजी रहन रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। अतः रहन रखी हुयी आराजी पर भी वादी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 6986/8410 रकबा 0.17, 6986/8411 रकबा 0.18, 6988/8357 रकबा 0.06, 6985/8358 रकबा 0.05, 6986/8617 रकबा 0.13, 6986/8618 रकबा 0.27, 6987/8619 रकबा 0.10, 7045/8400 रकबा 0.42, 6988 रकबा 0.04, की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। खसरा नम्बर 6986/8617 रकबा 0.13, 6986/8618 रकबा 0.27, 6987/8619 रकबा 0.10, पर वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 41 को पूर्ण हिस्से पर, हाल खसरा नम्बर 6986/8411 रकबा 0.18, 6988/8357 रकबा 0.06, 6985/8358 रकबा 0.05, पर वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 41 को पूर्ण हिस्से पर, खसरा नम्बर 6988 रकबा 0.04 पर वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 41 को प्रतिवादी संख्या चांदमल पुत्र भूरा के स्थान पर, हाल खसरा नम्बर 7045/8400 रकबा 0.42 पर वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 41 को पूर्ण हिस्से पर, हाल खसरा नम्बर 6986/8410 रकबा 0.17 पर वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 41 को पूर्ण हिस्से पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

डिकी व मुकदमें इन्वॉई  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रामदेव बनाम चांदमल


दावा बाबत :- 88, 188, 92 ए राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 15/2017

पेश करने की दिनांक - 01.2.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक नौरतमल जैन मुद्दई अभिभाषक राज० पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :-

ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 6986/8410 रकबा 0.17, 6986/8411 रकबा 0.18, 6988/8357 रकबा 0.06, 6985/8358 रकबा 0.05, 6986/8617 रकबा 0.13, 6986/8618 रकबा 0.27, 6987/8619 रकबा 0.10, 7045/8400 रकबा 0.42, 6988 रकबा 0.04, की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। खसरा नम्बर 6986/8617 रकबा 0.13, 6986/8618 रकबा 0.27, 6987/8619 रकबा 0.10, पर वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 41 को पूर्ण हिस्से पर, हाल खसरा नम्बर 6986/8411 रकबा 0.18, 6988/8357 रकबा 0.06, 6985/8358 रकबा 0.05, पर वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 41 को पूर्ण हिस्से पर, खसरा नम्बर 6988 रकबा 0.04 पर वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 41 को प्रतिवादी संख्या चांदमल पुत्र भूरा के स्थान पर, हाल खसरा नम्बर 7045/8400 रकबा 0.42 पर वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 41 को पूर्ण हिस्से पर, हाल खसरा नम्बर 6986/8410 रकबा 0.17 पर वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 41 को पूर्ण हिस्से पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक \_\_\_\_\_ को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 6 माह 6 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई


मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा  
स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प वजह सबूत  
मेहनताना वकील  
फीस कमिश्नर  
खर्चा गवाहान  
बाबत इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प अरजी  
मेहनताना वकील  
खर्चा गवाहान  
फीस कमिश्नर  
बाबत इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

मिजान

मिजान

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद